न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 947/2022

अनवान : —

1. मनीराम पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. दशरथ पुत्र खेताराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

— **वादीगण**

बनाम्

1. ताराचन्द पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 13/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 के खाता स0 111/100 की कुल 23.0170है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादी स0 1 तथा 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वाद भूमि बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ने दिनांक 17.11.2022 को एक लिखित पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता स0 111/100 की कुल 23.0170 है0 भूमि गें से 1/10 हिस्सा भूमि में से खसरा न0 452 की 7.9040है भूमि में से 0.506है0 भूमि पर वादी स0 1 काबिज है व 0.253है0 भूमि पर वादी स0 2 काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा को स्वीकार कर उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ज[illegible] उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन कि[illegible] की वाद वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया। जवाब शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में रौही मौजा सोनड़ी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 खाता स0 111/100 ईएक्सपी–1, पारिवारिक समझौता ईएक्सपी–2 आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनको की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौता के अनुसार हक व हिस्सा की भूमि दर्ज की जावें। वादीगण के वाद को प्रतिवादी 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 111/100 की कुल 23.0170है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि वादी स0 1 तथा 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। मुताबिक पारिवारिक समझौता वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी स0 1 ताराचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से 0.5060है0 भूमि वादी स0 1 मनीराम को व 0.253है0 भूमि वादी स0 2 दशरथ के नाम व शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 ताराचन्द के नाम यथावत रखी जावें। प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश कर अर्ज किया है यदि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के प्रस्तुत द्वारा साक्ष्य सबूतों एवं पारिवारिक समझौता के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 111/100 की कुल 23.0170है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ... खसरा न0 452 की 7.9040हैक भूमि में 0.506है0 भूमि को वादी स0 1 ... 0.253है0 ... वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:14 IST
Reason: SelfAttested

भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखित दंफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक......15/12/23......को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 947 / 2022

अनवान : –

1. मनीराम पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. दशरथ पुत्र खेताराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. ताराचन्द पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–**प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व सुबोध शर्मा की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 111 / 100 की कुल 23.0170है0 भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से खसरा न0 452 की 7.9040हैक भूमि में 0.506है0 भूमि को वादी स0 1 को व 0.253है0 भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:14 IST
Reason: SelfAttested